13 निर्णय के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि निर्णय की तारीख से अधिनियम की धारा 203 (1) अमान्य हो जाएगी।

(13) ऊपर उल्लिखित कारणों से रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आदेश अनुलग्नक-पी. 3 और पी. 5 को अवैध घोषित किया जाता है और इस निर्देश के साथ रद्द कर दिया जाता है कि याचिकाकर्ता इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर भवन योजना की मंजूरी के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के आवेदन पर पर फैसला करेगा। प्रत्यर्थी संख्या 3 अपने आवेदन के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(14) अत्यावश्यक आवेदनों के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने पर इस आदेश की प्रति दी जाए।

\आर एन आर

न्यायामूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और ए. एस. गर्ग, के समक्ष

शेर सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सी. डब्ल्यू. पी. 1999 का 423

4 मार्च, 1999

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 10 (i) (ग)- अनावश्यक देरी एवम रुकावट - संदर्भ अस्वीकार कर दिया गया - न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में देरी - निरक्षरता ने देरी के लिए स्पष्टीकरण दिया - निरक्षरता यदि स्वीकार की जाती है तो प्रत्येक निरक्षर व्यक्ति को बचाव प्रदान करेगा - संदर्भ को अस्वीकार करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा - रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अभिनिर्णत : न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में चार वर्ष से अधिक की अत्यधिक लंबी देरी हुई है।हम याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की शुद्धता से संतुष्ट नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, इस तरह का स्पष्टीकरण, यदि स्वीकार किया जाता है, तो प्रत्येक अनपढ़ व्यक्ति को बचाव प्रदान करेगा। दावा अत्यधिक विलंबित होने के कारण, हमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

(पैरा 4)

जे. के. गोयल, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से।

पी.एस.ई.बी. पटियाला अपने अध्यक्ष के माध्यम से

बनाम

मेसर्स इंदूर लिमिटेड. 183 और एक अन्य

(न्यायामूर्ति एन. के. अग्रवाल,)

आदेश

न्यायामूर्ति जवाहर लाल गुप्ता, (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता ने श्रम न्यायालय की बहाली के लिए अपने दावे को संदर्भित करने के लिए प्रार्थना के साथ राज्य सरकार से संपर्क किया था।याचिकाकर्ता के अनुरोध को 6 जून,

1994 के आदेश के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी 3 के रूप में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि आदेश रद्द किया जाए।

(2) यह मामला 14 जनवरी, 1999 को इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उनके अधिपतियों को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हुई कि वकील देरी के बारे में स्पष्टीकरण दे सकते है ।

(3) कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। हालाँकि, श्री जे. के. गोयल द्वारा यह बताया गया है कि याचिका के पैराग्राफ 14 में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक अनपढ़ व्यक्ति होने के नाते, यह नहीं जानता था कि सरकार के आदेश को रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। दिसंबर, 1998 में जब उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया तो उन्हें उपाय की उपलब्धता के बारे में पता चला।

(4) विद्वान वकील को सुनने के बाद हम संतुष्ट हैं कि न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में चार साल से अधिक की अत्यधिक लंबी देरी हुई है। हम याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की शुद्धता से संतुष्ट नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, इस तरह का स्पष्टीकरण, यदि स्वीकार किया जाता है, तो प्रत्येक अनपढ़ व्यक्ति को बचाव प्रदान करेगा। दावा अत्यधिक विलंबित होने के कारण, हमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

(5) परिणामस्वरूप, रिट याचिका को सीमित रूप से खारिज कर दिया है।

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरूग्राम, हरियाणा